

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2020

क्र. ई-1-209-2020-5-एक.—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त, गृह

निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर क्रमशः श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020

क्र. ई-1-186-2020-5-एक.—श्रीमती वंदना वैद्य, भाप्रसे (2009), अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-210-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री हर्ष सिंह (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.
2.	श्री रितु राज (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर.

क्र. ई-1-451-2019-5-एक.—श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग को उनसे कनिष्ठ श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996) को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-451-2019-5-एक, दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप श्री अमित राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31 जनवरी 2020 से प्रमुख सचिव, वेतनमान में रुपये 1,82,200—2,24,100/- (पे मैट्रिक्स-15) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्री संजीव कुमार झा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा। काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 31 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता “कार्य नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा।

क्र. ई-1-456-2019-5-एक.—श्रीमती अरूणा गुप्ता, विकअ-सह-सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को अधिसमय वेतनमान में रुपये 1,44,200—2,18,200/- (पे मैट्रिक्स-14) में दिनांक

1 जनवरी 2020 से काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्रीमती अरूणा गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा। काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता “कार्य नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा।

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्र. ई-1-212-2020-5-एक.—श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (2007), अपर सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2020

क्र. ई-1-211-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.
2.	श्री रितु राज (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी. (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-210-2020-5-एक, दिनांक 04 जुलाई, 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-2, जिसके द्वारा श्री रितुराज की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर की गई थी, को संशोधित करते हुए).

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-191-2020-5-एक, दिनांक 20 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-1 पर अंकित श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर किये गये स्थानांतरण को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। श्री सोमेश मिश्रा पूर्ववत् उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ रहेंगे।

क्रमांक-ई-1-213-2020-5-एक.—श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-924-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएस., कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री सरोधन सिंह, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सरोधन सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2020

क्र. ई-1-216-2020-5-एक.—श्री आशीष सांगवान, भाप्रसे (2016) अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्र. ई-1-219-2020-5-एक.—श्री कुमार सत्यम, भाप्रसे (2017) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डिण्डोरी, जिला डिण्डोरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-222-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. विश्वनाथन (2008), कलेक्टर, जिला गुना.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री अमित तोमर (2009), कलेक्टर जिला बड़वानी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3.	श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011), अपर आयुक्त, आबकारी ग्वालियर.	कलेक्टर, जिला बड़वानी

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. ई-1-148-2020-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/18/2020/AIS-I, दिनांक 17 जून 2020 द्वारा सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे (2015) की सेवाएं त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं।

(2) सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे (2015) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार सुश्री गुंचा सनोबर द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-223-2020-5-एक.—श्री कुमार पुरुषोत्तम, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. ई.-5-899-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएस., आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 25 से 29 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री भरत यादव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2020

क्र. ई.-1-220-2020-5-एक.—श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011), अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. ई-1-224-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना.(3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. राजेश कुमार राजौरा (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग एवं जेल विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई.-1-221-2020-5-एक.—श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे (2014), अपर कलेक्टर, जिला कटनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. ई.-1-325-2006-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/15/2006/एआयएस (I), दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे (एमटी-2001) की सेवाएं 03 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी।

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13017/15/2006 एआयएस-I, (पीटी), दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे (एमटी-2001) की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग को लौटाए जाने के निर्देश दिये गये थे।

(3) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 22012-20-2019-एआयएस-I, दिनांक 20 जुलाई 2020 से द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे के अंतः संवर्गीय स्थानांतरण के अनुरोध को अमान्य किया गया है।

(4) अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे (एमटी-2001) प्रबंध संचालक, म. प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को उनके मूल संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
3	श्री मनोज गोविल (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
4	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.	—
5	श्री शिवशेखर शुक्ला (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड.	—
6	श्री फैज अहमद किदवाई (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	—
7	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश	—
8	श्री जॉन किंग्सली ए आर (2004), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे (1988), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) श्री उमाकान्त उमराव, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक ई-1-233-2020-5-एक.—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा आयोजित दूसरे चरण का ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करने पर आवंटन वर्ष 2018 बैच के सीधी भरती के नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रथम कौशिक, सहायक कलेक्टर, जिला राजगढ़.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डला, जिला मण्डला
2	श्री सिद्धार्थ जैन, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन जिला सिवनी
3	सुश्री तपस्या परिहार, सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा, जिला बड़वानी
4	श्री शिशिर गोमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला झाबुआ
5	श्री अभिषेक चौधरी, सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर
6	श्री संघ प्रिय, सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा जिला जबलपुर
7	श्री अमन वैष्णव, सहायक कलेक्टर, जिला धार.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़
8	सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चन्देरी, जिला अशोकनगर
9	श्री श्यामबीर, सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट जिला अलीराजपुर
10	श्री अक्षय कुमार तेम्रावाल, सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राधोगढ़ जिला गुना

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. ई-1-239-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विकास नरवाल (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	—
2	श्री गोपाल चन्द्र डाड (2008), कलेक्टर, जिला खरगौन.	कलेक्टर, जिला रतलाम	—
3	श्री अमित तोमर (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री प्रबल सिपाहा (2009), कलेक्टर, जिला झाबुआ.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	—
5	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010), कलेक्टर, जिला निवाड़ी.	कलेक्टर, जिला शिवपुरी	—
6	श्रीमती रूचिका चौहान (2011), कलेक्टर, जिला रतलाम.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.	—
7	सुश्री अनुग्रह पी. (2011), कलेक्टर, जिला शिवपुरी.	कलेक्टर, जिला खरगौन	—
8	श्री संजय कुमार (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, जिला दतिया	—
9	श्री रोहित सिंह (2012), कलेक्टर, जिला दतिया.	कलेक्टर, जिला झाबुआ	—
10	श्री आशीष भार्गव (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला निवाड़ी	—
11	सुश्री रजनी सिंह (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.	अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग इन्दौर.	—
12	श्री राघवेन्द्र सिंह (2013), अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर	—

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2020

क्र. ई-1-243-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भरत यादव (2008), कलेक्टर, जिला जबलपुर.	आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), कलेक्टर जिला पन्ना.	कलेक्टर, जिला जबलपुर	—
3	श्री संजय कुमार मिश्रा (2011) संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुंबई, महाराष्ट्र तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला पन्ना	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री भरत यादव द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग केवल आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-244-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री संजय गुप्ता (2007), संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.	कलेक्टर, जिला हरदा	—
3	सुश्री प्रियंका दास (2009), कलेक्टर, जिला मुरैना.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री अनुराग वर्मा (2012), कलेक्टर, जिला हरदा.	कलेक्टर, जिला मुरैना	—

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री प्रियंका दास द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009), संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्र. ई-1-246-2020-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020 से अस्वस्थ होने के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो सके हैं.

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल, की अस्वस्थता की अवधि में श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे (2009), संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अति. प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2020

क्र. ई-5-962-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस., (2013) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. ई-5-979-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकाेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, आयएएस., अपर कलेक्टर जिला गुना को दिनांक 10 जुलाई से 7 सितम्बर 2020 तक, साठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकाेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लोकाेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकाेश कुमार रामचन्द्र जांगिड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. ई-5-986-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को दिनांक 16 से 25 जुलाई 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1036-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएस., अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2020

क्र. ई-5-732-आयएस-लीव-5-एक.—श्री आकाश त्रिपाठी, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2020 द्वारा दिनांक 13 से 19 अगस्त 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्र. एफ 1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 26 अगस्त 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)84-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक चम्बल रेन्ज, मुरैना

को दिनांक 23 से 31 जुलाई 2020 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01, 03 व 08 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 170-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री योगेश देशमुख, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 29 जुलाई 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2020

क्र. एफ-1(ए)-268-1986-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 4 अगस्त 2020 का एक दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर की यात्रा के तहत कानपुर (उ. प्र.) की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अवकाश के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2020

वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची

क्र. 2033-2020-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री ऋषभ कुमार सिंघई	2-2-1961	1-2-2021	28-2-2021
2	श्री कृष्णकान्त शर्मा	6-2-1961	5-2-2021	28-2-2021
3	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	25-2-1961	24-2-2021	28-2-2021
4	श्री सुशील कुमार शर्मा	13-3-1961	12-3-2021	31-3-2021
5	श्री संजीव कुमार सरैया	28-3-1961	27-3-2021	31-3-2021
6	मोहम्मद शकील खान	11-4-1961	10-4-2021	30-4-2021
7	श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार	19-4-1961	18-4-2021	30-4-2021
8	श्री कमर इकबाल खान	7-5-1961	6-5-2021	31-5-2021
9	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	28-5-1961	27-5-2021	31-5-2021
10	श्री भाऊराव पाटिल	26-6-1961	25-6-2021	30-6-2021
11	श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा)	1-7-1961	30-6-2021	30-6-2021
12	श्री योगेश कुमार गुप्ता	3-7-1961	2-7-2021	31-7-2021
13	श्री उमेश कुमार गुप्ता	3-7-1961	2-7-2021	31-7-2021
14	श्री रतन कुमार वर्मा	3-7-1961	2-7-2021	31-7-2021
15	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	7-7-1961	6-7-2021	31-7-2021
16	श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर)	8-7-1961	7-7-2021	31-7-2021
17	श्रीमती आशा गोधा	10-7-1961	9-7-2021	31-7-2021
18	श्रीमती शशिकला चंद्रा	11-7-1961	10-7-2021	31-7-2021
19	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर	17-7-1961	16-7-2021	31-7-2021
20	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	25-7-1961	24-7-2021	31-7-2021
21	श्री अरूण कुमार शर्मा	29-7-1961	28-7-2021	31-7-2021
22	श्री राजेश गुप्ता	10-8-1961	9-8-2021	31-8-2021
23	श्री लीलाधर बौरासी	7-9-1961	6-9-2021	30-9-2021
24	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	21-9-1961	20-9-2021	30-9-2021
25	श्री राजेश कुमार कोष्टा	11-10-1961	10-10-2021	31-10-2021
26	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	24-10-1961	23-10-2021	31-10-2021
27	श्रीमती रश्मि अग्रवाल	14-11-1961	13-11-2021	30-11-2021
28	श्री शिवकान्त पाण्डेय	18-12-1961	17-12-2021	31-12-2021
29	श्री विजय कुमार पाण्डेय (सीनियर)	1-1-1962	31-12-2021	31-12-2021
30	श्री हरिशरण यादव	1-1-1962	31-12-2021	31-12-2021

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-2191-2020.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009 2251 इक्कीस ब(एक)/13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, 3, 16, 41, 64, 66, 70 और 75 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	सुश्री आरती सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
16.	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के ग्याहरवें अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
41.	श्री नदीम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, थांदला.	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
64.	श्रीमती जाग्रति सचेन्द्र चन्द्रकापुरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, सीहोर.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
66.	श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, सिवनी.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
70.	श्री महेश कुमार माली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
75.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-2191-2020.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 3, 16, 41, 64, 66, 70 and 75 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Sushri Arti Singh, II nd Civil Judge, Class-II, Anuppur.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
16.	Shri Chaitanya Anubhav Choubey, XI th Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-II, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
41.	Shri Nadeem Khan, Civil Judge, Class-I, Thandla.	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla
64.	Smt. Jagrati Sacheendra Chandrakapure, Ist Civil Judge, Class-II, Sehore.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
66.	Smt. Suchitra Shrivastava, III rd Civil Judge, Class-I, Seoni.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
70.	Shri Mahesh Kumar Mali, II nd Civil Judge, Class-I, Shajapur.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
75.	Shri Ashok Kumar Tripathi, Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I, Sidhi.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

फा. क्र. 3398-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2252-2020.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)2051-2016, दिनांक 6 जून 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 3844-2018, दिनांक 23 अगस्त, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 7 सितम्बर 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
"1.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद,, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर".

F.N. 1-5-96-XXI-B(One)-2252-2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No.49 of 1988), and in partial supersession of this departments notification No. 1-5-96-XXI-B(One)2051-2016, dated 6th June 2016 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification .No. 1-5-96-XXI-B(One)3844-2018, dated 23rd August, 2018 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 7th September, 2018 the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Alok Awasthi, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur by the District and Sessions Judge of the Concerned District as the case may be.

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Head quarter (3)	Jurisdiction of Special Court (4)
"1.	Shri Rajendra Kumar Sharma, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tkamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Hoshangabad, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2020

फा. क्र.-3376, 3295-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2020 को निरस्त करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के रिट याचिकाओं, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुशान्त तिवारी, अधिवक्ता, ग्वालियर को विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन विशेष लोक अभियोजक, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- (पचपन हजार रुपये) पर आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे. पारिश्रमिक एवं अन्य का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. 527-1445-2018-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 6, 9, 11 एवं 12 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	कक्षा	विषय	पुस्तक का शीर्षक	माध्यम	प्रकाशक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	6	सामाजिक विज्ञान	हमारे अतीत-I (इतिहास)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक
2	6	सामाजिक विज्ञान	पृथ्वी हमारा आवास-I (भूगोल)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	नियम भोपाल (समस्त
3	6	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक और राजनीतिक जीवन-I	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	पाठ्यपुस्तकों के लिए).
4	9	हिन्दी	क्षितिज भाग-1	हिन्दी	
5	9	हिन्दी	कृतिका भाग-1	हिन्दी	
6	9	अंग्रेजी	बीहाइव (Beehive)	अंग्रेजी	
7	9	अंग्रेजी	मोमेन्ट्स (Moments)	अंग्रेजी	
8	9	संस्कृत	शेमुषी प्रथमो भाग:	संस्कृत	
9	9, 10	संस्कृत	व्याकरणवीथि:	संस्कृत	
10	9	ऊर्द	नवाए उर्दू	उर्दू	
11	9	सामाजिक विज्ञान	भारत और समकालीन विश्व-I (इतिहास).	हिन्दी, अंग्रेजी	
12	9	सामाजिक विज्ञान	समकालीन भारत-I (भूगोल)	हिन्दी, अंग्रेजी	
13	9	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र	हिन्दी, अंग्रेजी	
14	9	सामाजिक विज्ञान	लोकतांत्रिक राजनीति-1	हिन्दी, अंग्रेजी	
15	11	हिन्दी	आरोह भाग 1	हिन्दी	
16	11	हिन्दी	वितान भाग 1	हिन्दी	
17	11,12	हिन्दी	जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम	हिन्दी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	11	अंग्रेजी	हॉर्नबिल (Hornbill)	अंग्रेजी	
19	11	अंग्रेजी	स्नैपशॉट (Snapshot)	अंग्रेजी	
20	11	संस्कृत	भास्वती प्रथमो भागः	संस्कृत	
21	11,12	संस्कृत	संस्कृत साहित्य परिचय	संस्कृत	
22	11	उर्दू	गुलिस्तान-ए-अदब	उर्दू	
23	11	इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस	इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (Informatics Practices)	हिन्दी, अंग्रेजी	
24	12	इतिहास	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-I	हिन्दी, अंग्रेजी	
25	12	इतिहास	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-II	हिन्दी, अंग्रेजी	
26	12	इतिहास	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-III	हिन्दी, अंग्रेजी	
27	12	भूगोल	मानव भूगोल के मूल सिद्धांत	हिन्दी, अंग्रेजी	
28	12	भूगोल	भारत-लोग और अर्थव्यवस्था	हिन्दी, अंग्रेजी	
29	12	भूगोल	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य-II	हिन्दी, अंग्रेजी	
30	12	राजनीति विज्ञान	समकालीन विश्व राजनीति	हिन्दी, अंग्रेजी	
31	12	राजनीति विज्ञान	स्वतंत्र भारत में राजनीति	हिन्दी, अंग्रेजी	
32	12	समाजशास्त्र	भारत में सामाजिक परिवर्तन	हिन्दी, अंग्रेजी	
33	12	समाजशास्त्र	भारतीय समाज	हिन्दी, अंग्रेजी	
34	12	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2020

क्र. 1150-1329-2020-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत भैरव प्रतिमा, ग्राम खामडीह तहसील गुड जिला रीवा को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 06-41-83-संस्कृति-तीस, दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को कलेक्टर, जिला रीवा के प्रस्तावनुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत उक्त संरक्षित/क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जनमानस की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा की सुरक्षा एवं क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित है. अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस प्रतिमा की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्त प्रस्तावित विकास कार्य उपसंचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय जबलपुर के मार्गदर्शन में कराया जावे.

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमेरेखा ढोले, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ-3-13-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 6930-टी सी-89-उपां-नग्रानि-2019, दिनांक 21 नवम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रसारित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छोला भोपाल	48	4.030 हेक्टेयर में से 929.36 वर्गमीटर	आमोद-प्रमोद (नगर-उद्यान) एवं मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (पुलिस थाना भवन) एवं मार्ग.
		योग . .	929.36 वर्गमीटर		

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ-25-55-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा-34 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9-X/58, दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:—

अनुसूची

जिला—होशंगाबाद, तहसील—बाबई, वनमण्डल—होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र—सोहागपुर

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पश्चिम महेन्द्रवाडी	पहनतला	(नया) कक्ष क्र. पी.एफ.-233 (पुराना कक्ष क्र. पी.एफ.-112.	215.00	भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F. No. 8-18/2017-FC, दिनांक 6-9-2017 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	उत्तर सीमा—कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 369 से 1 एवं 1 से 29 तक. ग्राम गुररिया खुर्द की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				होशंगाबाद से वनग्राम विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.		<p>पूर्व सीमा—मुनारा क्रमांक 29 से नाला होते हुए नया मुनारा क्रमांक 29/1 तक कक्ष क्रमांक पी-186 की पश्चिमी सीमा.</p> <p>दक्षिणी सीमा—नई लाइन नया मुनारा क्रमांक 29/1 से नया मुनारा क्रमांक 9 तक.</p> <p>पश्चिम सीमा—कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 369 तक वनखण्ड बागडा के कक्ष क्रमांक पी.-225 की पूर्वी सीमा.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ-25-55-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-55-2019-दस-3, दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 31st August 2020

No. F 25-55-2019-X-3.—In exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number 9-X/58, Dated 10 July, 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will

cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department:—

SCHEDULE

District—Hoshangabad, Tehsil—Babai, Forest Division—Hoshangabad, Forest Range—Sohagapur

S. N.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment Number	Area ceases to be Protected Forest (Hactare)	Brief description of reasons for ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	West Mahen dravadi	Pahantla	(New) PF-233 (Old) PF-112	215.00	Denotification of the forest land of Hoshangabad (T.) Forest Division diverted for rehabilitation of the Forest village from Satpuda Tiger Reserve in compliance of the condition no. 1 of GOI sanction no. F. No. 8-18/2017-FC, dated 6-9-2017.	<p>North—Artificial line from Pillar Number 369 to 1 and 1 to 29 of Protected Forest. Boundary of Guraria khurd village.</p> <p>East—Through Nala from Pillar Number 29 to New Pillar No. 29/1 Western Boundary of Compartment number P-186.</p> <p>South—New Cut line from New Pillar Number 29/1 to 9.</p> <p>West—Artificial cut line from New Pillar number 9 to Pillar number 369, Eastern Boundary of Compartment number P-225 of Forest Block Bagara.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. 4933-वित्त-1-2020.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-1-233-2020-5-एक, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री सिद्धार्थ जैन (आय.ए.एस.) की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लखनादौन, जिला-सिवनी के पद पर की गई है तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक बी 1-102-2020-एक, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री जयप्रकाश सैयाम, (रा.प्र.से.) की पदस्थापना अपर कलेक्टर, जिला-हरदा के पद पर किये जाने से जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है:—

(1) श्री सिद्धार्थ जैन (आय.ए.एस.), अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन एवं घंसौर

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन एवं घंसौर.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग लखनादौन एवं घंसौर
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर
4. सत्कार/भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(2) श्री अंकुर मेश्राम (रा.प्र.से.), अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग सिवनी
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग सिवनी
4. सत्कार/भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सिवनी
5. जिला सत्कार अधिकारी
6. नजूल अधिकारी सिवनी
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रथम लिंक आफीसर (3)	द्वितीय लिंक आफीसर (4)
1	श्री सिद्धार्थ जैन	श्री अमित सिंह	श्री एच. घोरमारे
2	श्री अंकुर मेश्राम	श्री एच. घोरमारे	श्रीमती सोनल सीडम
3	श्री एच. घोरमारे	श्रीमती सोनल सीडम	श्री अंकुर मेश्राम
4	श्री अमित सिंह	श्री एच. घोरमारे	श्रीमती सोनल सीडम
5	श्रीमती सोनल सीडम	श्री एच. घोरमारे	श्री अंकुर मेश्राम

नोट.—शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 21 अगस्त 2020

संशोधित आदेश

क्र. क. व.लि. 2020-7183.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क.व.लि./2020/766, बुरहानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा वर्ष 2020 के लिये 03 (तीन) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक 02 पर अंकित अनंत चतुदशी का दूसरा दिन दिनांक 2 सितम्बर 2020 (बुधवार) का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर दिनांक 1 सितम्बर 2020 (मंगलवार) अनंत चतुदशी के दिन सम्पूर्ण जिला बुरहानपुर हेतु स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

टीप:—

- (1) यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा।
- (2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं। इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा। परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी।

प्रवीण सिंह, कलेक्टर.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2020

बीना विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3299-वि.यो. 496-नग्रांनि-2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बीना विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, सागर, संभाग सागर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बीना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बीना विकास योजना, 2011.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक. कृषि	7 7	7-सा-9 7-सा-9	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के निगम 17(क) के अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

सैंधवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3328-वि.यो. 496-नगानि-2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सैंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सैंधवा, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय-6

6.2—क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे. आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा. परन्तु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है.

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

2. अध्याय-6

6.2—क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, आयुक्त सहायक एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.-1-2020-1894.—सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-1, सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविशंकर द्विवेदी	सहायक आयुक्त, सहकारिता
2	श्रीमती वैशाली जैन	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.-1-2020-1895-सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-2, सहकारिता तथा सामान्य विधि में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेश उईके	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.-1-2020-1896-सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-3, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविशंकर द्विवेदी	सहायक आयुक्त, सहकारिता
2	सुश्री दीपाली खण्डेलवाल	सहायक आयुक्त, सहकारिता
3	श्री राजू डावर	सहायक आयुक्त, सहकारिता
4	श्री बासुदेव सिंह भदौरिया	सहायक आयुक्त, सहकारिता
5	श्रीमती वैशाली जैन	सहायक आयुक्त, सहकारिता
6	श्री अखिलेश शुक्ला	सहायक आयुक्त, सहकारिता
7	श्री अरूण कुमार मसराम	सहायक आयुक्त, सहकारिता
8	श्री राजेश उईके	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.-1-2020-1897-सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-4, सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेश उईके	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.-1-2020-1898-सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के लिए दिनांक 29 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-5, आदेश लेखन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री अभय सिंह	सहायक आयुक्त, सहकारिता
2	श्री राजेश उईके	सहायक आयुक्त, सहकारिता

आशीष सक्सेना, आयुक्त.

कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह
विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ 1-1-19-रा-स-यू.ए.-1-906.—प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म. प्र.) द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2020 को प्रस्तुत त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है। प्रो. अग्रवाल दिनांक 31 अगस्त 2020 को कार्यमुक्त होंगे।

क्र. एफ 1-1-19-रा.स-यू.ए.-1-908.—प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के कुलपति पद से त्याग-पत्र दिए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलपति का पद रिक्त हो गया है।

2. अतः, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानान्तर्गत मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, एतद्वारा प्रो. एम. पी. पाठक, डीन, समाजविद्या संकाय, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य सम्पादित करने के लिए नाम-निर्देशित करती हूँ।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

जावक क्र. 2272-अ-2020-री-2-रा.प्र.क्र. 01-अ-82-2020-21

बड़वानी, दिनांक 4 जून 2020

(अंतर्गत धारा 11, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दि गई अनुसूची क्र. 01 में राजपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013)) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित

अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - राजपुरा

तहसी - पानसेमल जिला बड़वानी

क्र.	विवरण (1) (2) (3)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		(4) सिंचित	(5) असिंचित	(6) कुल
1.	राजपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में प्रभावित होने से	6.216	1.112	7.328
	योग	6.216	1.112	7.328

अनुसूची (2)

राजपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	आबीबाई पति मालसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.22	46/2/1	1.174	-	1.174	1.174	-	1.174
2	राज्या पिता धन्जी जाती बरेला पता सां. देह राजपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.78	46/1	1.011	-	1.011	0.382	-	0.382

3	गुमान पिता शिवा जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.63	46/2/2	-	0.959	0.959	-	0.080	0.080
4	नवल पिता शिवा जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.50-2.63	46/2/3	0.960	-	0.960	0.080	-	0.080
5	बनस्या गनस्या पिता दित्या रामसिंग गुला पिता सुन्जा जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.66	12/4/2 12/5	-	1.032	1.032	-	1.032	1.032
6	देवा उदयसिंग केवसिंग किशन पिता अनसिंग बनीबाई बेवा अनसिंग गंगाराम नादू पिता राज्या वरदीबाई बेवा राज्या जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.93	12/6 13/1	1.013	-	1.013	1.013	-	1.013
7	उदयसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.65	10/4 12/2	1.834	-	1.834	0.888	-	0.888
8	केवसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.64	10/3 11/2/2	1.832	-	1.832	0.777	-	0.777

9	बुदीबाई सादूबाई दुकानिबाई गुलाबीबाई बदीबाई पिता आलमा, नजीनाबाई पिता बाबूलाल चन्दरसिंग पिता रामदास दिपक प्रदान कृष्णा नाबा.पिता रामदास नाबा. पिता रामदास पिता आता जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.65	10/2 11/2/1	1.834	-	1.834	0.494	-	0.494
10	गुजारिया पिता जेरमा सलदार पिता फिरंग्या लकड़या बा. रामसिंग ना.बा. पिता हुन्या म.पा.क. लकड़या पिता हुन्या रानुबाई बेवा फिरंग्या जंगा किशन रतन पिता बैराग्या जाती भील पता सा.राजपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 11.30	9/4 10/1	3.658	-	3.658	1.408	-	1.408
	कुल योग		13.316	1.991	15.307	6.216	1.112	7.328

नोट - भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 39-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-3839

सागर, दिनांक 22 जून 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : जयनगर
3. ग्राम : मढ़खेरा जागीर
4. पट.ह.नं.- : 130
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 1.705 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.192	0.000	0.000	बबूल-1
2	संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरप्रसाद पाण्डे सा. देह	भूमिस्वामी	1012/1	2.120	0.288	0.000	0.000	निरंक
3	राजेश पिता नन्नु साकिन देह	भूमिस्वामी	72/1	0.890	0.000	0.096	0.000	निरंक
4	प्रभु पिता नन्नु साकिन सागर	भूमिस्वामी	72/2	0.620	0.000	0.096	0.000	निरंक
5	सजल नाबा पिता व वली प्रेमलाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	75/1/1	1.860	0.000	0.124	0.000	निरंक
6	अजय पिता प्रेमलाल साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	75/1/2	0.110	0.000	0.020	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	75/2	1.000	0.000	0.144	0.000	निरंक
7	चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	84	1.700	0.060	0.000	0.000	निरंक
8	मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.400	0.056	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	83/1	1.400	0.215	0.000	0.000	निरंक
9	नरान पिता गुलाब सा. देह	भूमिस्वामी	78/1	0.380	0.011	0.000	0.000	निरंक
10	परशोत्तम पिता नन्हेभाई पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/2	0.400	0.000	0.011	0.000	निरंक
11	रामचरन पिता घस्सा सा. देह	भूमिस्वामी	82/1	0.400	0.000	0.015	0.000	निरंक
12	महताप पिता घस्सा पता सा. देह	भूमिस्वामी	82/2	0.400	0.015	0.000	0.000	निरंक
13	तरवर पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/3	0.400	0.000	0.015	0.000	निरंक
14	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम धीरज पिता मरिया सा. देह	भूमिस्वामी	81/1	0.270	0.034	0.000	0.000	निरंक
15	नरान बल्द प्रहलाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/2	0.530	0.000	0.034	0.000	निरंक

प्र.क्र.39 अ/82/17-18

16	शोभाराम श्रीराम पिता परसू सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	80	0.790	0.077	0.000	0.000	निरंक
17	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45	0.220	0.024	0.000	0.000	निरंक
18	कमलेश हल्ले भाई कुवर बाई पिस. विन्दावन सा. देह	भूमिस्वामी	44/1	0.180	0.000	0.010	0.000	निरंक
19	शोभाराम श्रीराम पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43	0.100	0.038	0.000	0.000	निरंक
20	पंचम घुन्नी बालकिशन झबू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पुत्री छैकोडी दयाराम धारज पिता मरिया पता सा. देह	भूमिस्वामी	42	0.050	0.000	0.000	0.019	बबूल-1
21	श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद सा. देह	भूमिस्वामी	41	1.080	0.000	0.034	0.000	निरंक
22	पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37	0.320	0.000	0.043	0.000	बेरी-1
23	गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36	0.270	0.000	0.034	0.000	बेरी-1
योग:-			25	18.110	1.010	0.676	0.019	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08/07/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 50-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-4126

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : सींगना
 4. पट.ह.नं.- : 58
 5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 3.079 है.

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवे का विवरण			अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सींगना माईनर नंबर-6								
1	गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	390/1	0.647	0.000	0.080	0.000	निरंक
2	कमलेश माधव कुंवरबाई नाबालिग पिसरान वृन्दावन वली कलेक्टर सागर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.065	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	391/2	0.550	0.065	0.000	0.000	निरंक
3	विन्दावन पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	405	1.640	0.058	0.000	0.000	निरंक
4	मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	404	1.130	0.000	0.050	0.000	निरंक
5	सियारानी पति कच्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर	भूमिस्वामी	407	1.140	0.000	0.100	0.000	निरंक
6	चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	403	0.930	0.000	0.060	0.000	निरंक
7	बलराम साहू पुत्र छतरसींग 1/5 भाग, राधा पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, शांति पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, अनीता पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, रामरानी देवा छतरसींग 1/5 भाग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	408	1.480	0.000	0.120	0.000	निरंक
8	रमेश बल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	470	0.350	0.010	0.000	0.000	निरंक
9	रामदास पिता छतरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	471	0.410	0.000	0.080	0.000	निरंक
10	जवाहर पिता मन्लाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	472	0.780	0.000	0.070	0.000	निरंक
सींगना माईनर नंबर-7								
11	नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/3/1	0.172	0.000	0.030	0.000	निरंक
12	हल्लभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	365/4/1	0.572	0.000	0.060	0.000	निरंक
13	कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	370/1	0.830	0.080	0.000	0.000	निरंक
14	गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	370/2	0.980	0.000	0.080	0.000	निरंक
15	रतन पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	372/1	0.600	0.007	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	373/1	0.660	0.072	0.000	0.000	निरंक
16	दशरथ पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	374/1	0.450	0.000	0.051	0.000	निरंक
17	बिहारी पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	374/2	0.780	0.000	0.081	0.000	निरंक
18	शंकरसींग बल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	375	0.220	0.000	0.188	0.000	निरंक
19	लखन पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373/2	0.630	0.000	0.072	0.000	निरंक

20	कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती कुसुमरानी वेवा मोती साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	238	0.380	0.000	0.032	0.000	निरंक
21	शिवप्रसाद मिट्टू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई, सरीबाई, गौतमबाई, मुन्नीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री गगवानदारा, गुखराणी वेवा मानसींग, रागवती, राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239	0.380	0.030	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	324	0.650	0.010	0.000	0.000	निरंक
22	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	253/1	0.510	0.000	0.012	0.000	निरंक
23	मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्दू हरिमजन बल्द रामराजा सावित्री पुत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	253/2	0.510	0.000	0.011	0.000	निरंक
24	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	243	0.380	0.000	0.048	0.000	निरंक
25	विन्द्रावन पिता मरी 1/14 भाग, हरीसिंह पिता मरी 1/14 भाग, पन्नालाल पिता मरी 1/14 भाग, रविशंकर पिता मरी 1/14 भाग उर्मिला पुत्री मरी 1/14 भाग, रेखा पुत्री मरी 1/14 भाग नर्मदा प्रसाद पुत्र रमेश 1/56 भाग, जानकी पुत्री रमेशा 1/56 भाग, शांतिबाई पुत्री रमेश 1/56 भाग, रुकमणबाई वेवा रमेश 1/56 भाग पार्वती पुत्री रामदयाल 1/2 भाग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240	0.420	0.060	0.000	0.000	निरंक
26	दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244/1	0.090	0.006	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	247/1	0.260	0.035	0.000	0.000	निरंक
27	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244/2	0.030	0.000	0.000	0.006	निरंक
28	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/2	0.250	0.000	0.035	0.000	निरंक
29	भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247/3	0.250	0.000	0.035	0.000	निरंक
30	रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेमाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्नि मूलचंद रूपसींग वल्द डोमन सुहागरानी पति नन्हेमाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251	1.680	0.076	0.000	0.000	निरंक
31	प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी बेवा कमोद सिंह लखनसिंह रगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्मीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई, बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद, बाबूलाल वल्द रामलाल, गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64	1.070	0.000	0.114	0.000	निरंक
32	हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	3.600	0.000	0.220	0.000	निरंक
33	गोविन्दासींग बल्द कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	57	0.300	0.000	0.028	0.000	निरंक
34	शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	6.230	0.132	0.000	0.000	निरंक
35	गुलाबबाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल सा. कोयरा	भूमिस्वामी	30/2	2.000	0.132	0.000	0.000	निरंक
36	चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग सा. देह	भूमिस्वामी	51	1.610	0.000	0.112	0.000	निरंक
37	नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	50	0.930	0.000	0.068	0.000	निरंक
सींगना माईनर नंबर-8								
38	रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	300/1	0.750	0.000	0.000	0.090	निरंक
39	कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	300/2	0.800	0.000	0.092	0.000	निरंक
40	कोमल वल्द नंना साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299/1	0.840	0.000	0.072	0.000	निरंक
41	विन्द्रावन पिता काशीराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299/2	1.000	0.000	0.072	0.000	निरंक
42	सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन सा. देह	भूमिस्वामी	299/3	0.890	0.072	0.000	0.000	निरंक
योग:-			46	41.851	0.910	2.073	0.096	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनियमों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।

- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/09/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों

की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 45-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-4127

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : बेरखेरी मड़िया
 4. पट.ह.नं.- : 133/58
 5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 5.069 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8								
1	सियारानी पति सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	191/1/1	0.400	0.000	0.058	0.000	निरंक
2	डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	191/2	1.210	0.000	0.058	0.000	निरंक
3	डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर सियारानी पति सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	192/1	0.350	0.000	0.036	0.000	निरंक
4	विनीत कुमार पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	192/2	0.800	0.000	0.036	0.000	निरंक
5	सुहागरानी पति नन्देमाई पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/1	2.710	0.000	0.154	0.000	निरंक
6	ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/2	2.600	0.000	0.154	0.000	निरंक
7	जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	190/1	0.150	0.000	0.000	0.027	निरंक
8	हम्मौर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	190/2	0.690	0.000	0.027	0.000	निरंक
9	अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	190/3 190/4	0.290 0.910	0.000 0.000	0.027 0.027	0.000 0.000	निरंक निरंक
10	जगन्नाथ वल्द कुदंऊ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	189/1	2.210	0.139	0.000	0.000	निरंक
11	मरत बल्द नन्ना साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	188/1 100/1	0.710 1.660	0.000 0.000	0.036 0.340	0.000 0.000	निरंक निरंक
12	महताब बल्द नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/2	0.700	0.000	0.036	0.000	निरंक
13	कमलेश पिता रजोत साकिन बेरखेड़ी मड़िया	भूमिस्वामी	188/3	0.200	0.000	0.036	0.000	निरंक
14	रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रिया नन्ना साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/4	1.200	0.000	0.036	0.000	निरंक
15	रामसेवक अमोल पिस. नुन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/1	0.410	0.000	0.096	0.000	निरंक
16	अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/2	1.200	0.000	0.096	0.000	निरंक

		भूमिस्वामी	187/3	0.400	0.000	0.096	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	187/7	0.410	0.000	0.096	0.000	निरंक
17	कुन्दनलाल बल्द कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/11	1.000	0.000	0.096	0.000	निरंक
18	पूर्णब्रह्मसिंह पिता पारब्रह्मसिंह, नीलेशसिंह जर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/2	1.320	0.000	0.182	0.000	निरंक
19	पहलवान सिंह बल्द घरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/3	5.090	0.000	0.182	0.000	निरंक
20	राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	98/1	1.200	0.000	0.044	0.000	निरंक
21	सोनू नावा. पिता हिम्मत वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	98/2	1.200	0.000	0.044	0.000	निरंक
22	मोनू नावा. पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	98/3	1.200	0.000	0.044	0.000	निरंक
23	महताब बल्द नन्ना सींगना	भूमिस्वामी	100/2	1.670	0.000	0.340	0.000	निरंक
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9								
24	श्री दवी दुर्गा जी मुह. महाराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	241/1	5.250	0.000	0.296	0.000	निरंक
25	इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	237/1	1.360	0.192	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	224/2	0.140	0.064	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	223	1.910	0.058	0.000	0.000	निरंक
26	भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/1	0.240	0.000	0.144	0.000	निरंक
27	लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी	भूमिस्वामी	222	0.610	0.067	0.000	0.000	निरंक
28	डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	220/2	2.450	0.134	0.000	0.000	निरंक
29	गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	220/3	1.000	0.000	0.960	0.000	निरंक
30	करैयावारी जर्फ कौसाबाई पति मूरतसींग सा. देह	भूमिस्वामी	225	1.120	0.029	0.000	0.000	निरंक
31	सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	218/2	2.000	0.192	0.000	0.000	निरंक
32	मोहन पिस. डोमन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216/1	1.820	0.000	0.130	0.000	निरंक
33	कलू पिता डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/2	1.820	0.000	0.130	0.000	निरंक
34	मुलाबाई जर्फ स्वराजराणी वेवा डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/3	1.820	0.000	0.130	0.000	निरंक
कुल योग:-			40	70.400	0.875	4.167	0.027	निरंक

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
 - 1(2) ऐसे किरसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये, की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
 - 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी

कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/08/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 08-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5260

सागर, दिनांक 13 जुलाई 2020

मौजा इमलिया खुर्द पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा इमलिया खुर्द पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-08अ/82/19-20/5002 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 07-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5263

मौजा पहरगुवा पट.ह.नं.-60 तहसील मालथौन
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा पहरगुवा पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-07अ/82/19-20/5003 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 10-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5264

मौजा मुडिया गुसाई पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मुडिया गुसाई पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-10अ/82/19-20/4998 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 09-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5265

मौजा नेतना पट.ह.नं.-60 तहसील मालथौन

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा नेतना पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-09अ/82/19-20/4997 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 13-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5265

मौजा सेमरा अटा पट.ह.नं.-61 तहसाल मालथान

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सेमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथान जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-11अ/82/19-20/4999 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 11-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5261

मौजा सेमरा अटा पट.ह.नं.-61 तहसील मालथान

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सेमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथान जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-11अ/82/19-20/4999 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 12-अ-82-19-20-भू-अर्जन-20-5262

मौजा अटाटीला पट.ह.नं.-62 तहसील मालथौन

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा अटाटीला पटवारी हल्का नंबर-62 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12अ/82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-12अ/82/19-20/5000 सागर, दिनांक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 136-अ-82-17-18-4586

सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020

मौजा राखसी पटवारी हल्का नं. 013 तहसील बण्डा
 चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन
 विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की
 संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि
 परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.
 प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018
 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के
 पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2)
 के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
 और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण
 समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात
 निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं
 परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
 का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित
 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	बण्डा
3. ग्राम	राखसी
4. पटवारी हल्का नं.	013
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	20.490 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रानीबहू वेवा करनसिंग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.470	0.470	
2	शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.240	0.240	
			12	0.300	0.300	
3	हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी-पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.220	0.220	
			15/1	0.010	0.010	
			18/1	0.240	0.150	
			21/2	0.280	0.280	
			22/1	0.060	0.060	

4	प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.210	0.210	
			15/2	0.010	0.010	
			18/2	0.230	0.190	
			19	0.140	0.140	
			21/3	0.280	0.280	
			22/2	0.050	0.050	
			407/3	0.960	0.040	
5	रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	5	1.750	1.750	
			8	0.720	0.360	
			16	1.060	1.060	
			34	0.060	0.020	
6	तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.220	0.220	
			7/1	0.850	0.850	
			10/1	0.200	0.200	
7	मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.030	0.030	
			7/3	0.200	0.200	
8	धनसींग पिता करनसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.080	0.080	
			7/4	0.400	0.090	
			10/2	0.200	0.200	
			11	0.220	0.220	
9	बीरसींग रामसींग पिता मलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/4	0.080	0.080	
			7/5	0.800	0.800	
10	कडोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/5	0.040	0.040	
			7/6	0.200	0.200	
11	पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.260	1.260	
			33/1	0.680	0.680	
12	रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/7	0.160	0.160	
13	कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.210	1.200	
14	मंगलसींग वल्द नत्थूसींग गजराजसींग पिस कीरतसींग माधव बहादुर पिस मर्दनसींग श्यामबाई वे मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	0.410	0.410	

15	रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस. रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	0.090	0.090	
16	मंगल वल्द नत्थुसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.230	0.230	
17	भैयाराम प्रीतम पिस शवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/3	0.020	0.020	
			18/3	0.470	0.070	
			21/4	0.380	0.380	
			22/3	0.100	0.100	
18	भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जु ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी नावा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.070	0.060	
19	नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.200	0.120	
20	माधव रम्मु खचौडी पिस ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.330	0.330	
21	रिंगारानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1	0.190	0.190	
22	जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस. सुमेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	3.840	0.620	
23	दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.510	0.510	
			33/2	2.180	0.700	
24	जोधन महताप भैयाराम मोहन पिस. सुमेरसिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	0.490	0.300	
25	जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/1	0.310	0.310	
			405/1	0.630	0.060	
26	कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/2	0.060	0.060	
			405/2	0.150	0.060	
27	मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/3	0.060	0.060	
			405/3	0.150	0.030	
28	भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/4	0.060	0.060	
			405/4	0.150	0.050	
29	अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/5	0.060	0.060	
			405/5	0.150	0.050	
30	नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/6	0.060	0.060	
			405/6	0.150	0.010	
31	नारायण पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/7	0.060	0.060	
			405/7	0.150	0.030	

32	भैयाराम पिता हरीसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/8	0.060	0.060	
			405/8	0.150	0.040	
33	मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/9	0.060	0.060	
34	पम्पूराम जी सुखसिंग ना.वा. पिता दीनदयाल डब्बो ना या पुत्री दीनदयाल पालक प खुद मां मथराबाई बेवा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.040	0.020	
35	पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.050	0.010	
			98	0.130	0.010	
36	मंगलसिंग वल्द नथूसिंग गजराजसिंग पिस. कीरतसिंग माधव बहादुर पिस. मर्दनसिंग श्यामबाई वे. मर्दनसिंग गोपी बेवा झलकनसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	0.190	0.010	
37	जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस. सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	0.110	0.010	
38	मुकुन्द देवसिंग हाकम शेरसिंग पिता काशीराम मल्लोबाई पुत्री काशीराम श्यामबाई बेवा काशीराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	408	1.000	0.170	
39	पर्वतसिंग व दौलतसिंग लटकनसिंग व हुकुमसिंग वीरेन्द्रसिंग राजेन्द्र सिंग व लटकनसिंग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	0.340	0.340	
40	मथुराबाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/9	0.150	0.020	
41	खूबसिंग पिता प्यारसिंग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	403/1	0.830	0.750	
			404	0.430	0.200	
42	अशोक सिंग पिता प्यारसिंग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	403/2	1.260	1.260	
43	सिंगाररानी बेवा जुझारसिंग इंदरसिंग विक्रमसिंग विपत पिस. जुझारसिंग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गब्बर ना वा पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	407/1	0.390	0.050	
44	हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	407/2	0.570	0.040	
कुल:-			81	31.590	20.490	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 - जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 46-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-4994

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : बम्हौरी
 4. पट.ह.नं.- : 133/58
 5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 3.633 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नोनीतराम पिता पंचा साकिन बेरखेडी	भूमिस्वामी	83/1	0.360	0.000	0.020	0.000	0
2	अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह	भूमिस्वामी	85	0.410	0.000	0.002	0.000	0
3	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता बबू पता सा. बिलहरा हिस्सा 0.100 है.	भूमिस्वामी	58/1	0.240	0.000	0.101	0.000	0
4	माधव प्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह	भूमिस्वामी	58/2	0.600	0.000	0.101	0.000	0
5	रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/3	0.400	0.000	0.101	0.000	0
6	झलकन संजू भगवानदास नाबा पिता व पालक कुन्दन पिता दीना सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	131	0.080	0.000	0.063	0.000	0
7	तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसिंग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्टूलाल ब्रजेश कुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्टूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्टूलाल सां बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/1	1.470	0.000	0.286	0.000	0
8	कमलसिंह बल्द हरिशंकर पता. सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	133/1	0.120	0.000	0.082	0.000	0
		भूमिस्वामी	133/2	0.480	0.000	0.010	0.000	0
9	वीरसिंग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया	भूमिस्वामी	209	3.040	0.004	0.000	0.000	0

10	पन्नालाल पिता पूरन यादव साकिन कपुरिया	भूमिस्वामी	210	2.750	0.160	0.000	0.000	बेरी-1 रंजा-1
11	त्रिजेश सिंह पिता अमान सिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/1	1.070	0.000	0.096	0.000	0
12	धर्मनंदसिंह बल्द गन्धर्वसिंह पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/2	1.400	0.000	0.152	0.000	0
13	अमानसिंग पिता भीकमसिंग सा. पिपरिया	भूमिस्वामी	211/3	1.400	0.000	0.152	0.000	0
14	लालसिंग राजेन्द्र सींग, प्रथमसिंग पिता माधोसिंग अवधरानी बेवा माधोसिंग सा. पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	212	2.940	0.184	0.000	0.000	शुबबुल-1
15	हरिभगवान बल्द भैयालाल पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	214	2.670	0.212	0.000	0.000	बेरी-1
		भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.004	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	219	2.570	0.216	0.000	0.000	0
16	लखनसिंग पिता भैयालाल पता सा. पिपरिया	भूमिस्वामी	215	4.410	0.048	0.000	0.000	बेरी-1 बबुल-1
17	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	2.000	0.000	0.182	0.000	0
18	भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सा. देह	भूमिस्वामी	220/2	0.600	0.000	0.048	0.000	0
		भूमिस्वामी	220/3	0.600	0.000	0.034	0.000	0
19	राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद सा. देह	भूमिस्वामी	220/4	0.900	0.000	0.048	0.000	0
20	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	218/1	1.320	0.000	0.031	0.000	0
		भूमिस्वामी	245	3.520	0.072	0.000	0.000	0
21	बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बदीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	218/2	0.400	0.000	0.029	0.000	0
22	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटा बाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्की बिन्ना पुत्री अनंदी सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244	2.520	0.000	0.178	0.000	0
23	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247	2.070	0.000	0.130	0.000	0
24	गोविन्द बल्द नन्हेभाई पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	248	0.810	0.000	0.075	0.000	0
25	शिवरानी पत्नि छत्तरसिंग सा. सींगना	भूमिस्वामी	249/4	1.320	0.000	0.058	0.000	0
26	रामकिशन पिता गोले सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/1	1.410	0.048	0.000	0.000	0
27	गोविन्द नन्हेभाई सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2	0.610	0.000	0.048	0.000	0
28	हनमत बल्द गोले साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/3	1.010	0.000	0.048	0.000	0
29	गोविन्द मुन्ना पिस. मानसिंग पारवती मुन्नी पुत्री मानसिंग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268	1.100	0.000	0.072	0.000	0
30	गोविन्द मुन्ना पिता मानसिंग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	269/1	1.610	0.000	0.068	0.000	0
31	भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल सा.सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269/2	0.800	0.000	0.068	0.000	0
		भूमिस्वामी	269/3	0.400	0.000	0.068	0.000	0
32	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. सींगना	भूमिस्वामी	271/1	1.450	0.000	0.106	0.000	शुबबुल-2
33	भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद सा. देह	भूमिस्वामी	271/3	1.250	0.000	0.026	0.000	0
34	गीताबाई पुत्री कामोदसिंह लोधी साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/2	0.400	0.000	0.048	0.000	बेरी-2 शुबबुल-2
35	प्रहलाद सींग बल्द कामोद सा. सींगना	भूमिस्वामी	159/3	1.050	0.000	0.048	0.000	0

36	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	159/4	0.520	0.000	0.048	0.000	0
37	हरगोविन्द बल्द क मोदसीगसीगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	158	1.200	0.000	0.058	0.000	0
योग:-			43	55.760	0.948	2.685	0.000	0

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वारादोत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितवद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/09/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 46-अ-82-17-18-भू-अर्जन-20-4995

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020

मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.-133/58 तहसील जैसीनगर

परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बम्हौरी पटवारी हल्का नंबर-133/58 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-46अ/82/17-18/5216 सागर, दिनांक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की एक मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 39-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-5361

सागर, दिनांक 19 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण 39अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा किरौला पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 14/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 13/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 22-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-5360

मौजा नीमोन पट.ह.नं.-15 तहसील बण्डा

भू-अर्जन प्रकरण 22अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा नीमोन पट.ह.नं.-15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 23-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-5362

मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा

भू-अर्जन प्रकरण 23अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 17-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-5364

मौजा पिडरूवा पट.ह.नं.-07 तहसील बण्डा

भू-अर्जन प्रकरण 17अ/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पिडरूवा पट.ह.नं.-07 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि का उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

दिनांक 25 जुलाई 2020

क्रमांक/01/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बैरिहा, पटवारी हल्का क्रमांक बैरिहा-64, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से ळळै12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	बैरिहा / 64	355/1/ख, 355/2	0.086
			356	0.071
			345/3	0.148
			357/1, 357/2 क, 357/2 ख	0.026
			342/1, 342/2	0.005
			343/1, 343/2	0.082
			360/1, 360/2	0.101
			361/1, 361/2	0.169
			362/1, 362/2, 362/3	0.005
			335	0.003
			334/1, 334/2	0.235
			240/1 क, 240/1 ख, 240/2, 240/3/क, 240/3/ख, 240/3/ग	0.027
			243/1 क, 243/1 ख, 243/1 ग, 243/2	0.202
			242/1, 242/2, 242/3	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	बैरिहा / 64	246/2, 246/3	0.077
			247	0.005
			749	0.025
			252/2	0.007
			253/1, 253/2	0.119
			252/459/1, 252/459/2	0.009
			257	0.023
			258	0.150
			302	0.005
			305/1, 305/2	0.106
			300/2	0.019
			119	0.010
			112	0.051
			118	0.042

क्रमांक/02/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे-63 तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	घोरवे / 63	839/2, 839/3	0.715
			848/2	0.542
			857	0.205
			856/1, 856/2, 856/3	0.005
			859	0.079
			860/1, 860/2	0.102
			870	0.136
			872	0.005
			871	0.005
			927	0.069
			926	0.037
			925	0.010
			928/2	0.005

क्रमांक/03/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मेहरौड़ी, पटवारी हल्का क्रमांक भमला-62 तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	मेहरौड़ी / भमला 62	11/1, 11/2	0.203
			12	0.004
			10	0.072
			13	0.005
			19	0.014
			97	0.052
			9	0.106
			8	0.004
			27	0.060
			26	0.063
			21	0.005
			24	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	मेहरौड़ी / भमला 62	25	0.050
			29	0.023
			30	0.016
			31	0.041
			82	0.033
			83	0.054
			101	0.027
			102	0.010
			100	0.069
			84	0.011
			96 / 1, 96 / 2	0.053
			85	0.124
			86	0.040
			88	0.035
			78	0.010
			75 / 1, 75 / 2	0.094
			76	0.035
			72 / 1, 72 / 3	0.191
			73 / 2, 73 / 3 / क, 73 / 3 / ख, 73 / 3 / ग, 73 / 4, 73 / 5	0.323
			249 / 7	0.564
			257 / 3	0.550
			258	0.005
			259	0.011

क्रमांक/04/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01 तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायवक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	बुढार	नौगई /01	496	0.149
			497 / 1, 497 / 2, 497 / 3, 497 / 4	0.005
			500 / 1	0.063
			501 / 2 / क, 501 / 2 / ख / 1, 501 / 2 / ग / 1, 501 / 2 / घ / 1, 501 / 3 / क, 501 / 3 / ख / 1, 501 / 3 / ग	0.399
			571 / 2, 571 / 3, 571 / 4 / क, 571 / 4 / ख, 571 / 5, 571 / 6	0.593
			570 / 2, 570 / 3	0.213
			558 / 2, 558 / 3 क, 558 / 3 ख, 558 / 3 ग, 558 / 3 घ, 558 / 3 ड	0.120
			557	0.084
शहडोल	बुढार	नौगई /01	551 / 2, 551 / 3	0.005
			552 / 2, 552 / 3, 552 / 4	0.484
			630	0.120
			629	0.088
			628 / 1, 628 / 2, 628 / 3, 628 / 4	0.392
			627 / 1, 627 / 2, 627 / 3	0.084
			626	0.144

क्रमांक/05/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	देवरी/देवरी	1064	0.075
			1063	0.034
			1062	0.183
			1061	0.012
			1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1060/7, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1060/11, 1060/12	0.223
			1054/2	0.434
			1053/2	0.010
			1055	0.205

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	देवरी/देवरी	1072/1356/1, 1072/1356/2 क, 1072/1356/2 ख, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4/क, 1072/4/ख, 1072/4/ग, 1072/5	0.195
			1107/2 क, 1107/2 ख, 1107/2 ग, 1107/2 घ	0.247
			1110/2, 1110/3	0.124
			1112/1, 1112/2	0.144
			1111/1, 1111/2	0.005
			1114/1, 1114/2, 1114/3	0.008
			1116	0.103
			1117	0.005
			1118	0.035
			1119	0.076
			1149	0.010
			1016/2, 1016/3	0.562
			1028	0.004
			1027/2	0.087
			371	0.049
			368/6	0.035
			368/7	0.044
			368/5	0.039
			368/4	0.025
			368/3	0.053
			368/2	0.072
			368/1	0.044
			295/5	0.113
			295/6	0.024
			306/1, 306/2	0.166
			307/1, 307/2	0.005
			305/1, 305/2	0.052
			325/2	0.895
			324	0.008

क्रमांक/06/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवां, पटवारी हल्का क्रमांक धनगवां-57, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जो उसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	धनगवां / 57	1987 / 3, 1987 / 4	0.899
			1990	0.047
			1986 / 2076	0.005
			1992 / 1, 1992 / 2	0.122
			1991 / 1, 1991 / 2	0.046
			1993 / 1, 1993 / 2, 1993 / 3	0.093
			1997 / 1, 1997 / 2, 1997 / 3	0.351
			1996 / 1, 1996 / 2	0.029
			2015	0.121
			2014 / 1, 2014 / 2, 2014 / 3	0.107
			2016 / 1	0.005
			2046	0.024

रसायन निगम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	धनगवां / 57	2037 / 1, 2037 / 2, 2037 / 3, 2037 / 4	0.061
			2047	0.065
			1959 / 1, 1959 / 2, 1959 / 3, 1959 / 4	0.120
			1956 / 2, 1956 / 3	0.064
			2022 / 2	0.178
			320 / 1, 320 / 2	0.047
			322 / 1, 322 / 2	0.078
			323 / 1, 323 / 2	0.049
			326 / 1, 326 / 2, 326 / 3, 326 / 4	0.009
			325 / 1, 325 / 2	0.09
			329	0.015
			1652 / 2, 1652 / 3, 1652 / 4, 1652 / 5, 1652 / 6, 1652 / 7	0.051
			1728 / 2, 1728 / 3 / क, 1728 / 3 / ख, 1728 / 4 / 1, 1728 / 4 / 2, 1728 / 4 / 3	0.698
			1735	0.085
			1734 / 1, 1734 / 2, 1734 / 3	0.004
			1730 / 1, 1730 / 2	0.222
			1729	0.004
			1713	0.167
			1710 / 1, 1710 / 2	0.161
			1711 / 1, 1711 / 2	0.074
			1705	0.004
			1704 / 1, 1704 / 2	0.209
			1699 / 1 / क, 1699 / 1 / ख, 1699 / 1 / ग, 1699 / 1 / घ, 1699 / 1 / ङ, . 1699 / 1 / च, 1699 / 1 / छ, 1699 / 2, 1699 / 3	0.264
			1698	0.005
			1703	0.007
			1697 / 1, 1697 / 2, 1697 / 3, 1697 / 4, 1697 / 5, 1697 / 6	0.040
			1691 / 1, 1691 / 2, 1691 / 3, 1691 / 4, 1691 / 5	0.537
			1691 / 1856	0.010
			922 / 1, 922 / 2 / क, 922 / 2 / ख, 922 / 2 / ग, 922 / 2 / घ	0.130
			899 / 1, 899 / 2, 899 / 3	0.005
			996	0.101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	धनगवां / 57	897 / 1 क, 897 / 1 ख, 897 / 2 / 1, 897 / 2 / 2	0.004
			995	0.014
			941 / 2	0.239
			888	0.018
			1065 / 1, 1065 / 3	0.325
			1064	0.004
			1080 / 2, 1080 / 3	0.204
			1701 / 1 / क, 1701 / 1 / ख, 1701 / 1 / ग, 1701 / 1 / घ, 1701 / 1 / ङ, 1701 / 1 / च, 1701 / 2, 1701 / 3	0.085
			1610	0.047
			1608	0.076
			1609	0.066
			1614	0.075
			1615	0.070
			1604 / 1, 1604 / 2	0.046
			1603	0.136
			1599 / 1, 1599 / 2	0.088
			1598	0.136
			1595	0.079
			1596	0.043
			1597	0.048
			1752	0.055
			1753	0.015
			1771 / 1, 1771 / 2, 1771 / 3	0.556
			1583	0.004
			1772	0.116
			1788	0.099
			1789	0.079
			1876 / 2068	0.004
			1976 / 2078	0.004
			1876 / 2069 / 1, 1876 / 2069 / 2, 1876 / 2069 / 3 क, 1876 / 2069 / 3 ख	0.172
			1932 / 2, 1932 / 3, 1932 / 4, 1932 / 5	0.328
			1876 / 2070 / 1 क, 1876 / 2070 / 1 ख, 1876 / 2070 / 2, 1876 / 2070 / 3	0.140
			1962 / 2 क, 1962 / 2 ख, 1962 / 2 ग, 1962 / 2 घ	0.982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	धनगवां / 57	1963 / 1, 1963 / 2, 1963 / 3, 1963 / 4	0.206
			1964 / 1, 1964 / 2, 1964 / 3	0.053
			1965	0.094
			1969 / 1, 1969 / 2	0.206
			1974 / 1, 1974 / 2, 1974 / 3, 1974 / 4, 1974 / 5	0.026
			437	0.116
			438	0.090
			432	0.029
			431	0.015
			436 / 2, 436 / 3, 436 / 4	0.328
			427 / 1, 427 / 2, 427 / 3, 427 / 4	0.010
			426 / 1, 426 / 2, 426 / 3, 426 / 4	0.010
			425 / 1, 425 / 2, 425 / 3, 425 / 4	0.045
			423 / 1, 423 / 2, 423 / 3	0.078
			424 / 1, 424 / 2	0.119
			2056	0.106

क्रमांक/07/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम दुधरिया, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	दुधरिया / लफदा - 55	99	0.059
			117/3, 117/4	0.005
			118	0.030
			120	0.092
			168/2	0.134
			82	0.024
			121	0.103
			125	0.005
			126	0.122
			127/1	0.079
			128/2	0.010
			122	0.010
शहडोल	गोहपारु	दुधरिया / लफदा - 55	164	0.004
			165/1, 165/2	0.064
			81/3	0.008
			80	0.078
			79	0.014
			66	0.084
			62	0.016
			64	0.056
			65	0.053
			8	0.005
			9	0.005
			11	0.005
			10	0.120
			7	0.210
			1/2	0.107
			3	0.067
			2/2	0.067

म 212 रि.म.

क्रमांक/08/बी-121/2016-17, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लफदा, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	लफदा / 55	1613	0.054
			1616	0.046
			1612	0.194
			1633	0.005
			1634 / 1, 1634 / 2, 1634 / 3, 1634 / 4, 1634 / 5	0.053
			1677	0.108
			1676	0.018
			1675	0.081
			1674	0.034
			1673	0.005
			1672	0.063
			1671 / 2106	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	लफदा / 55	1665 / 1, 1665 / 2, 1665 / 3, 1665 / 4	0.139
			1663	0.005
			1664	0.005
			1666	0.036
			1658	0.029
			1657	0.063
			1656	0.058
			1535	0.100
			1534	0.056
			1533	0.084
			1532 / 1	0.045
			1532 / 2	0.035
			1538 / 1	0.006
			1526	0.055
			1538 / 2	0.033
			1525	0.074
			1524	0.059
			1515	0.032
			1516	0.056
			1522	0.005
			1521	0.024
			1517	0.036
			1520	0.009
			1518	0.074
			1500	0.128
			1519	0.007
			1498	0.005
			1501	0.030
			1499	0.098
			1497	0.042
			1411 / 2	0.076
			1411 / 1	0.068
			1412	0.022
			1410	0.059
			1415	0.005
			1416	0.009
			1417	0.045
			1418	0.011
			1419	0.061
			1398	0.015
			1391	0.026

67

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	लफदा / 55	1390	0.045
			1392 / 1, 1392 / 2	0.011
			1393 / 1, 1393 / 2	0.019
			1396 / 1, 1396 / 2	0.062
			1394 / 1 / क, 1394 / 1 / ख, 1394 / 1 / ग	0.033
			1395	0.062
			1364	0.005
			1394 / 2 / क, 1394 / 2 / ख, 1394 / 2 / ग, 1394 / 2 / घ	0.083
			1379 / 1, 1379 / 2	0.026
			1365	0.007
			1377	0.066
			1373 / 1, 1373 / 2, 1373 / 3	0.010
			1376	0.033
			1375	0.028
			1367	0.180
			1374	0.011
			1370	0.124
			1368	0.006
			1369	0.021
			1326 / 1	0.104
			1347 / 5	0.045
			1327 / 1, 1327 / 2, 1327 / 3, 1327 / 4	0.033
			1347 / 3	0.005
			1347 / 2	0.196
			1347 / 4	0.050
			1346	0.040
			1341	0.010
			1345	0.043
			1344	0.023
			1349	0.042
			1350	0.059
			1351 / 1 / क, 1351 / 1 / ख, 1351 / 1 / ग	0.083
			1355 / 1, 1355 / 2, 1355 / 3	0.118
			1354	0.042
			1366 / 1, 1366 / 2	0.005
			1590 / 2	0.252
			1574	0.069
			1573 / 1, 1573 / 2, 1573 / 3	0.290

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	लफदा / 55	1572	0.023
			1554	0.075
			1458	0.097
			1459	0.130
			1457	0.005
			1456	0.070
			1455	0.051
			1454	0.074
			1452	0.032
			1451	0.299
			1444	0.044
			1439 / 1, 1439 / 2	0.045
			1432	0.129
			1436	0.005
			1433	0.080
			1438 / 2	0.005
			1437 / 1, 1437 / 2	0.185
			1383	0.005

क्रमांक/09/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरियाडोल, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	धुरियाडोल/ गुढा-56	32/2	0.291
			29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9	0.325
			25/1, 25/2, 25/3, 25/4	0.185
			56	0.285
			55/1, 55/2	0.288
			46/1, 46/2	0.209
			36	0.066
			37	0.132
			39	0.078
			38/1, 38/2	0.026
			57	0.119
शहडोल	गोहपारु	धुरियाडोल/ गुढा-56	69	0.024
			61	0.010
			67	0.130
			66	0.015
			64	0.225
			63	0.005
			353/1, 353/2	0.010
			352	0.204
			351	0.005
			350	0.007
			357	0.030
			356	0.059
			359	0.111
			358	0.040
			362	0.087
			361/1, 361/2, 361/3	0.005
			364	0.024
			367	0.005
			366	0.061
			365	0.039

			374	0.013
			378 / 1, 378 / 2	0.070
			379 / 1, 379 / 2	0.005
			376	0.045
			377	0.038
			375	0.005
			382	0.054
			383	0.034
			392	0.006
			385	0.054
			391	0.017
			389	0.007
			390	0.161
			388	0.005
			416 / 1, 416 / 2	0.042
			415	0.005
			432 / 1 / 1, 432 / 1 / 2, 432 / 2, 432 / 3	0.125
			433 / 1, 433 / 2	0.024
			581	0.082
			580	0.005
शहडोल	गोहपारु	धुरियाडोल/ गुदा-56	582	0.018
			579	0.050
			576	0.066
			574	0.045
			575	0.024
			572	0.005
			573	0.075
			568	0.005
			569	0.005
			587	0.007
			588	0.005
			590	0.052
			589	0.007
			591 / 614	0.074
			591	0.136
			592 / 615	0.026
			592	0.053
			591 / 613	0.005
			563 / 1, 563 / 2	0.195
			546 / 2	0.020

क्रमांक/10/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम अकला, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	अकला / गुढ़ा 56	638	0.063
			637	0.040
			636	0.082
			626/2	0.674
			625	0.004
			616	0.083
			615	0.022
			617	0.056
			613	0.007
			618	0.051
			612	0.052
			619	0.060
			620	0.022
		624/1/ख/1, 624/1/ख/2	0.110	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	अकला / गुढा	606/2	0.793
		56	605/1	0.575
			605/2	
			125/1/ख	0.352
			194	0.007
			461	0.193
			460	0.018
			599	0.239
			600/1, 600/2	0.185
			601	0.063
			433	0.189
			623/1, 623/2	0.013
			608/1, 608/2	0.069
			609	0.018
			607/1, 607/2	0.168
			584	0.057
			587	0.093
			586	0.066
			588/1, 588/2	0.044
			558	0.121
			559/2	0.547
			553/1, 553/2	0.144
			598/2, 598/3-ख	0.030
			718/2, 718/3, 718/4	0.422

क्रमांक/11/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भागा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	भागा/गुढ़ा 56	45/3	0.490
			55	0.005
			54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5	0.144
			46/1, 46/2	0.208
			47/1, 47/2	0.128
			43	0.221
			48/1, 48/2	0.005
			75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6	0.189
			95	0.022
			96	0.098

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुड़ा 56	97	0.080
			98	0.004
			87 / 1, 87 / 2, 87 / 3	0.085
			86 / 1, 86 / 2	0.081
			99	0.044
			345	0.004
			344 / 1, 344 / 2	0.066
			343 / 1, 343 / 2	0.318
			134 / 1, 134 / 2	0.102
			133	0.056
			178 / 1, 178 / 2	0.122
			177 / 1, 177 / 2	0.147
			695 / 1, 695 / 2, 695 / 3	0.030
			697	0.104
			699	0.076
			700	0.096
			851 / 1, 851 / 2	0.025
			853	0.024
			516	0.209
			510	0.004
			511	0.040
			512	0.006
			514 / 1, 514 / 2, 514 / 3	0.064
			515	0.082
			519	0.040
			528 / 1, 528 / 2	0.063
			525	0.062
			526	0.012
			522	0.012
			523	0.037
			524	0.057
			531	0.004
			533 / 1, 533 / 2, 533 / 3	0.243
			535	0.060
			534 / 1, 534 / 2	0.122
			584	0.022
			979 / 1, 979 / 2	0.077
			961	0.065
			37	0.105
			81	0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढा 56	82/1, 82/2	0.034
			161/1, 161/2	0.048
			106/1, 106/2	0.004
			160	0.018
			60/2, 60/3, 60/4, 60/5	0.604
			61/1/क, 61/1/ख, 61/2	0.202
			166/3	0.084
			936/3, 936/4	0.024
			935/1, 935/2, 935/3	0.091
			934	0.045
			955/2, 955/3	0.116
			963/1, 963/2	0.052
			962	0.243
			959	0.010
			961	0.041
			205/2, 205/3/क, 205/3/ख, 205/4	0.165
			199/1, 199/2	0.140
			200	0.015
			201	0.023
			195	0.036
			193/1, 193/2	0.066
			192/1, 192/2/क, 192/2/ख, 192/3	0.071
			173/1/ख, 173/2, 173/3	0.224
			180/2, 180/3	0.222
			190/1/क, 190/1/ख, 190/2	0.007
			191	0.065
			758	0.082
			757	0.055
			756	0.056
			755	0.055
			760/1/क, 760/1/ख, 760/2	0.162
			761/2	0.238
			116	0.282
			991	0.096
			115	0.211
			114/1, 114/2	0.013
			837/1, 837/2	0.145
			840	0.105

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढ़ा 56	723	0.079
			725	0.182
			724	0.058
			730/1	0.176
			729	0.125
			804/2, 804/3	0.160
			803	0.108
			802/2, 802/3	0.025
			793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6, 793/7	0.591
			795/1, 795/2, 795/3	0.176
			794/1, 794/2, 794/3, 794/4	0.030
			744/1, 744/2	0.160
			741	0.148
			733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8, 733/9, 733/10, 733/11, 733/12	0.202
			734	0.108
			730/2	0.124
			730/3	0.015
			708	0.122
			707	0.076
			706	0.116
			814/2, 814/3, 814/4	0.831
			822/2, 822/3	0.502
			821/1, 821/2	0.011
			820/1, 820/2 क, 820/2 ख	0.004
			839	0.137
			726	0.005
			206/2/क, 206/2/ख, 206/2/ग, 206/2/घ, 206/3, 206/6, 206/7	0.160
			229	0.005
			939/2	0.088
			207/1, 207/2	0.176
			208/1, 208/2	0.180
			209/1, 209/2	0.045
			210	0.112
			220/1, 220/2, 220/3	0.010
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढ़ा 56	211	0.060
			460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5	0.035
			457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5	0.124
			458/1, 458/2	0.025
			459/1, 459/2	0.076
			462/1, 462/2, 462/3	0.004
			456/1, 456/2	0.096
			454/1, 454/2	0.120

क्रमांक/12/बी-121/2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम गुढ़ा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	गुढ़ा/56	169/2	0.028
			171/2	0.095
			168/1, 168/2/क, 168/2/ख, 168/2/ग, 168/2/घ	0.187
			167/1/क, 167/1/ख, 167/1/ग, 167/1/घ, 167/2	0.092
			166/1/क, 166/1/ख, 166/1/ग, 166/1/घ, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7	0.021
			165	0.119
			163	0.149
			162/1, 162/2	0.186
			161	0.056

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शोहडोल	गोहपारु	गुढ़ा/56	160	0.006
			57 / 1, 57 / 2	0.179
			58	0.222
			158 / 1, 158 / 2 / क, 158 / 2 / ख, 158 / 2 / ग, 158 / 2 / घ	0.077
			157 / 2 / क, 157 / 2 / ख	0.196
			239 / 1, 239 / 2	0.122
			241	0.015
			240 / 1, 240 / 2	0.048
			236 / 1, 236 / 2, 236 / 3, 236 / 4	0.004
			237 / 1, 237 / 2, 237 / 3, 237 / 4	0.219
			233 / 1, 233 / 2	0.028
			232	0.019
			220 / 1, 220 / 2	0.090
			221	0.005
			218	0.013
			219	0.004
			217	0.060
			216	0.005
			213	0.056
			214	0.005
			330	0.005
			212	0.028
			210	0.005
			332 / 1, 332 / 2 / क / 1, 332 / 2 / क / 2, 332 / 2 / ख, 332 / 2 / ग	0.005
			211	0.097
			333	0.022
			204 / 1, 204 / 2	0.074
			335 / 1 / क, 335 / 1 / ख, 335 / 1 / ग, 335 / 1 / घ, 335 / 1 / ङ, 335 / 2, 335 / 3, 335 / 4 / क, 335 / 4 / ख	0.010
			337	0.091
			336	0.005
			338 / 1, 338 / 2	0.045
			339	0.002
			340	0.124
			363	0.031
			367	0.013
			365 / 2	0.324
			368	0.005

0.005

DR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	गुढा / 56	396	0.110
			395 / 2	0.311
			397	0.112
			422	0.272
			424	0.095
			428	0.137
			430	0.045
			431	0.046
			437	0.005
			463	0.051
			97	0.004
			91 / 1, 91 / 2, 91 / 3	0.065
			93 / 2, 93 / 3, 93 / 4, 93 / 5, 93 / 6, 93 / 7, 93 / 8, 93 / 9	0.420
			15	0.025

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.

कार्यालय, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रा.प्र. क्रमांक-01-अ-82-2019-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2020

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम— देवर्घा प0ह0न0—28, ब0न0—273, रा0नि0म0— छिंदवाड़ा—1	1. केशराम, संतू पिता हरजू जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी— देवर्घा 2. हरजू पिता हुकम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—देवर्घा 3. झोकाबाई पुत्री	190 185/1 196/4 185/2	0.151 0.064 0.043 0.162	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			गुसाई जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवर्धा			
			4. मनेश, दिनेश पिता गंगाराम, महावती, सीता पुत्रियां गंगाराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवर्धा	197 / 1	0.204	
		कुल योग		5	0.624 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-08-अ-82-2019-2020

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम— खैरीलददू प0ह0न0—32, ब0न0—118, रा0नि0म0— छिंदवाड़ा—1	1. अन्जेलाल पिता नेवालाल जाति गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी— खैरीलददू	45/1 71	0.088 0.038	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		2	0.126 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-02-अ-82-2020-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2020

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- खैरघाट, प0ह0न0-41, ब0न0-52, रा0नि0म0- चांद	1. विजयसिंग पिता मलखानसिंग रघुवंशी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-खैरघाट	134/14, 15	0.060	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
			1. लक्ष्मणसिंग पिता मलखानसिंग रघुवंशी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-खैरघाट	134/16	0.120	
		कुल योग		2	0.180 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र. क्र. ए.-8673

राजगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2020

द्वितीय पूरक – प्रकरण

अंतर्गत धारा - 19, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के ग्राम बुडनपुर के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - बुडनपुर		तहसील - सारंगपुर		जिला - राजगढ़			
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर					
		कुल रकबा	अर्जित रकबा				
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	10.995	9.945				
	1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से						
स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	
1	2	3	4	5	6	7	
1	नानूराम पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/11/2/3	0.506	0.000	0.506	0.506	
		योग-	0.506	0.000	0.506	0.506	
2	डाली बाई बेवा देवीसिंह बालू, कमलसिंह पिता देवीसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/11/2/4	0.505	0.000	0.505	0.505	
		योग-	0.505	0.000	0.505	0.505	
3	भारतसिंह शंभूसिंह पिता रामसिंह जाति नायक निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/5/12/1	0.231	0.000	0.231	0.231	
		योग-	0.231	0.000	0.231	0.231	
4	बालूसिंह, पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/5/12/2	0.230	0.000	0.230	0.230	
		योग-	0.230	0.000	0.230	0.230	
5	इन्दरसिंह पिता भंवरलाल जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/5/12/3	0.230	0.000	0.230	0.230	
		योग-	0.230	0.000	0.230	0.230	
6	कालू, भगवानसिंह पिता गंगाराम, अनोखबाई बेवा गंगाराम नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/5/12/4	0.231	0.000	0.231	0.231	
		योग-	0.231	0.000	0.231	0.231	

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग
1	2	3	4	5	6	7
7	बालचंद पिता कन्हैयालाल, चंदाबाई, धापूबाई पिता कन्हैयालाल,शांताबाई बेवा कन्हैयालाल जाति मेहतर पता निवासी नांदनी ग्राम भूमि स्वामी	322/6/7	2.000	0.000	0.950	0.950
		योग-	2.000	0.000	0.950	0.950
8	धीसीबाई पिता रामसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/6/41	1.500	0.000	1.500	1.500
		योग-	1.500	0.000	1.500	1.500
9	जगन्नाथ पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/11/2/1	0.506	0.000	0.506	0.506
		योग-	0.506	0.000	0.506	0.506
10	नाथू पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	322/11/2/2	0.506	0.000	0.506	0.506
		योग-	0.506	0.000	0.506	0.506
11	कुमरसिंह, सुल्तानसिंह पिता बापूसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/12/1	0.632	0.000	0.632	0.632
		322/12/2	0.632	0.000	0.632	0.632
		322/12/3	0.632	0.000	0.632	0.632
		322/12/4	0.633	0.000	0.633	0.633
		योग-	2.529	0.000	2.529	2.529
12	दुलेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/16/1/1/1	0.253	0.000	0.253	0.253
		योग-	0.253	0.000	0.253	0.253
13	उमरावसिंह पिता गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/16/1/1/2	0.253	0.000	0.253	0.253
		योग-	0.253	0.000	0.253	0.253
14	भोनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/16/1/1/3	0.253	0.000	0.253	0.253
		योग-	0.253	0.000	0.253	0.253
15	अम्बाराम, राकेश, पवन, पिता गोपीलाल भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/22/1	0.631	0.000	0.631	0.631
		योग-	0.631	0.000	0.631	0.631
16	मोडसिंह पिता भैरुसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322/22/2	0.631	0.000	0.631	0.631
		योग-	0.631	0.000	0.631	0.631
		कुल योग-	10.995	0.000	9.945	9.945

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय मे किया जा सकता है।

जा. क्र. 8874-75

राजगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2020

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में नभापुरा तालाब सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम नभापुरा एवं मल्हारपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम नभापुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	भंवरीबाई, सुरजीबाई, नोरंगबाई, कमलाबाई पुत्रीयां शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. क्रमशः धावद, बागपुरा, सेवली, खेडा (जिला शाजापुर भूमि स्वामी)	236/2/1	1.838	0.735
	योग	1	1.838	0.735
2	नारायणसिंह आ. रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	236/2/1/1	0.500	0.400
	योग	1	0.500	0.400
3	दर्यावसिंह आ. परथी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	236/2/3	0.411	0.308
	योग	1	0.411	0.308
4	धूला आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/3/1/2	1.945	0.633
	योग	1	1.945	0.633
5	मांगीलाल आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/3/1/3	2.354	0.500
	योग	1	2.354	0.500
6	प्रेमसिंह आ. बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कोडक्या भूमि स्वामी	237/1/1/9/2	1.012	0.253
	योग	1	1.012	0.253
7	परथी, भगवान, प्रताप आ. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/1 239/1/1	0.724 0.844	0.724 0.844
	योग	2	1.568	1.568
8	देवीलाल पिता भंवरलाल, कमलाबाई विधवा भंवरलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/2 239/2 285/1 286/2 286/4	0.363 0.612 0.466 0.243 0.040	0.363 0.612 0.466 0.243 0.040
	योग	5	1.724	1.724

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
9	हरिसिंह, कालू आ. माधू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/3 239/3/1	0.362 0.547	0.362 0.547
	योग	2	0.909	0.909
10	सत्यानारायण पिता श्रीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	239/1/2	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
11	बीरमसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी	240/1 287/1	0.283 0.088	0.283 0.088
	योग	2	0.371	0.371
12	तरवरसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी	240/2 287/2	0.283 0.088	0.283 0.088
	योग	2	0.371	0.371
13	शिवसिंह पिता पता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी	240/3 287/3	0.284 0.087	0.284 0.087
	योग	2	0.371	0.371
14	मांगीलाल, जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	281/1/1 281/1/2 285/4	0.253 0.253 0.126	0.253 0.253 0.126
	योग	3	0.632	0.632
15	मांगीलाल पिता पूरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/3 281/4	0.503 1.000	0.250 0.200
	योग	2	1.503	0.450
16	बनेसिंह आ. प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी	285/2	0.250	0.250
	योग	1	0.250	0.250
17	प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/5/1, 288/11/1	0.425	0.425
	योग	1	0.425	0.425
18	कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/5/2/1, 288/11/2	0.233	0.233
	योग	1	0.233	0.233
19	हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि	288/5/2/2	0.192	0.192
	योग	1	0.192	0.192
20	गेंदा आ. धूला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/5	1.214	0.253
	योग	1	1.214	0.253
21	मेहताब आ. मोती जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1/1/1	1.214	0.360
	योग	1	1.214	0.360

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
22	भँवरलाल, मोतीलाल, धीरप पिता करणसिंह, धूलीबाई बैवा करणसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	230/3	0.341	0.341
	योग	1	0.341	0.341
23	बालू, प्रेम आ. पूरा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	231/2 233/1/3	0.405 0.225	0.253 0.225
	योग	2	0.630	0.478
24	बनेसिंह पिता पूरा सरदारबाई विधवा पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/2	0.442	0.045
	योग	1	0.442	0.045
25	दर्यावबाई विधवा केसर, अमरसिंह, फुलसिंह पिता केसर जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/3 235/4	0.438 0.198	0.045 0.095
	योग	2	0.636	0.140
26	नारायणसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	234/4	0.668	0.095
	योग	1	0.668	0.095
	कुलयोग :-	40	22.134	12.417
नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम मल्हारपुरा				
1	बीरमसिंह, तरवरसिंह, शिवसिंह पिता फत्ता मु. कंचनबाई नैना फत्ता जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी	40/3 40/7 47/1	0.271 0.053 3.414	0.271 0.053 3.414
	योग	3	3.738	3.738
2	रामबगस, गोरधन, मूलचन्द, प्रभू आ. माधोदास रामप्यारी बाई पुत्री माधोदास जाति बैरागी नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी	40/6/1	0.405	0.203
	योग	1	0.405	0.203
3	मनोहरसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/1, 47/2/1 46/2/1/1	0.541 0.220	0.541 0.220
	योग	3	0.761	0.761
4	मांगीलाल पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/2, 47/2/2 46/2/2	0.542 0.254	0.542 0.127
	योग	3	0.796	0.669
5	शिवसिंह पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	46/1/3, 47/2/3	0.417	0.417
	योग	2	0.417	0.417
6	कमलसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि	46/2/1/2	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
7	प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि	47/89/1, 48	3.228 0.257	3.228 0.160
	योग	3	3.485	3.388
8	कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/1 49/1 50/1 51/1 55/2/2/1	0.026 0.037 0.443 0.536 0.012	0.026 0.037 0.443 0.375 0.012
	योग	5	1.054	0.893
9	हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/2 49/2 50/2 51/2 52/3 55/2/2/2	0.026 0.038 0.442 0.536 0.188 0.012	0.026 0.038 0.442 0.268 0.094 0.012
	योग	6	1.242	0.880
10	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी	47/89/2/3 49/3 50/3 51/3 55/2/2/3	0.026 0.038 0.442 0.535 0.012	0.026 0.038 0.442 0.267 0.012
	योग	5	1.053	0.785
11	गिरवर बापू, प्रभू, धीरप आ. बदन जाति सौधिया पता नि. शिवपुरी भूमि स्वामी	52/2/1 55/2/3 55/13/1	0.471 0.138 0.500	0.188 0.138 0.275
	योग	3	1.109	0.601
12	भंवरलाल, हरीसिंह, कालू आ. माधू सुरजीबाई पुत्री माधू व परथी, भगवान प्रतापसिंह, आ. हीरा केशरबाई पु. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी	40/6/2 52/1	0.267 0.432	0.267 0.432
	योग	2	0.699	0.699
13	भगवानसिंह आ. हिंदूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम पाडलिया भूमि स्वामी	52/4	0.187	0.267
	योग	1	0.187	0.267
	कुलयोग :-	38	14.979	13.334

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. ए.-294

आगर-मालवा, दिनांक 24 अगस्त 2020

(अंतागत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाली तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनसूची (2) की भूमि की अनसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

क्र.	ग्राम - पनाली विवरण	तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	अर्जित रकबा हे.
		कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.070	1.070
	योग	1.070	1.070

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाली के कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खरारा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	पद्माबाई, लीलाबाई, देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	0.280	0.280	0.570
		347	0.150	0.150	
		350	0.140	0.140	
	योग		0.570	0.570	0.570
2	उमरावबाई विधवा देवीसिंह, रोडमल, मानसिंह पिता देवीसिंह, सूरजबाई पुत्री देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भण्डावद शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय	365	0.500	0.500	0.500
	योग		0.500	0.500	0.500
	कुल योग:-		1.070	1.070	1.070
स.क.	मंदिर का नाम	मंदिर का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर मे	अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे	
1	2	3	4	5	
1	मंदिर श्री देवनारायण महाराज ग्राम पनाली	आर.सी.सी. छत स्तर	61.570	61.570	
	योग		61.570	61.57	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.-296

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम टिकोन तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम - टिकोन		तहसील - नलखेड़ा		जिला आगर-मालवा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर			
		कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.		
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.627	0.121		
योग		0.627	0.121		

अनुसूची (2)

(1) ग्राम टिकोन के कुण्डालिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	गंगाराम पुत्र मंशा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी पट्टे से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	1516 1517	0.627	0.121	0.121
योग			0.627	0.121	0.121

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.-298

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम बेरछाखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

क्र.	ग्राम - बेरछाखेड़ी विवरण	तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा है. मे	अर्जित रकबा है.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.630	1.610
	योग	1.630	1.610

अनुसूची (2)

(1) ग्राम बेरछाखेड़ी के कुण्डालिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5	6
1	तोलामरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्वामी	513	0.700	0.700	0.700
2	जालमसिंह पिता भावसिंह बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/3	0.160	0.150	0.150
3	गिरधारी पिता मेघा जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/2/2	0.420	0.410	0.410
4	किशन पिता नाथा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54	0.350	0.350	0.350
	योग		1.630	1.610	1.610

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.-300

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाला तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम - पनाला		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.620	0.530
	योग	0.620	0.530

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाला के कुण्डालिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	सिद्ध दत्तक पुत्र करण, कमलाबाई नोरंग बाई पांचुबाई श्यामुबाई पिता करणसिंह पीरू गंगाराम ललताबाई पुत्रगण भेरूलाल देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरलाल सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	0.050	0.050	0.290
		208	0.240	0.240	
	योग		0.290	0.290	0.290
2	श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान	243	0.02	0.02	0.02
	योग		0.02	0.02	0.02

1	2	3	4	5	6
3	मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरु कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	258	0.020	0.020	0.020
		योग	0.02	0.02	0.02
4	बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/4	0.060	0.060	0.060
		योग	0.06	0.06	0.06
5	भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	0.100	0.100	0.100
		योग	0.1	0.1	0.1
6	लक्ष्मीनारायण पिता भेरु हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312	0.050	0.020	0.020
		योग	0.05	0.02	0.02
7	गंगाराम राधेश्याम कालु पिता भंवरलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	314	0.010	0.010	0.010
		योग	0.01	0.01	0.01
8	चंदरसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	315	0.070	0.010	0.010
		योग	0.07	0.01	0.01
		कुल योग:-	0.620	0.530	0.530

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.-302

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम कचनारिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा - 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम - कचनारिया		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	2.870	2.590
	योग	2.870	2.590

अनुसूची (2)

(1) ग्राम कचनारिया के कुण्डालिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6
1	रमेश पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464	0.520	0.520	0.520
	योग		0.520	0.520	0.520
2	कालुराम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	467, 469	0.690	0.690	0.690
	योग		0.690	0.690	0.690
3	जगदीश, पप्पू पिता रामचन्द्र जाति सुतार पता निवासी ग्राम भण्डावद भूमि स्वामी	470	0.310	0.310	0.310
	योग		0.31	0.31	0.31
4	सूरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	570	0.720	0.720	0.720
	योग		0.72	0.72	0.72
5	बनवारी पिता कालूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	465	0.630	0.350	0.350
	योग		0.63	0.35	0.35
	कुल योग:-		2.870	2.590	2.590

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1247-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 25 अगस्त 2020

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र.1 में मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-

अनुसूची-1

ग्राम- कुमारिया तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण	0.460	0.045	0.505

अनुसूची-2

मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- कुमारिया तहसील-देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जयनारायण, बाबूलाल, मुकेश, कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण	542	0.300	-	0.300	0.020	-	0.020
2	कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती	543/1	-	0.150	0.150	-	0.020	0.020
3	हेमाबाई पति कल्याण जाति खाती	543/2	-	0.150	0.150	-	0.025	0.025
4	हरिनारायण पिता आत्माराम जाति खाती	544/1/1	0.070	-	0.070	0.020	-	0.020
5	माखन पिता हरिनारायण जाति खाती	544/1/2	0.040	-	0.040	0.020	-	0.020
6	जीवन पिता हरिनारायण जाति खाती	544/1/3	0.040	-	0.040	0.010	-	0.010
7	सुरेश पिता आत्माराम जाति खाती	544/2/1	0.070	-	0.070	0.020	-	0.020
8	राहुल पिता सुरेश जाति खाती	544/2/2	0.040	-	0.040	0.020	-	0.020
9	रीना पिता राहुल जाति खाती	544/2/3	0.040	-	0.040	0.010	-	0.010
10	लीलाधर पिता बट्टीलाल जाति खाती	545/1/1	0.070	-	0.070	0.020	-	0.020
11	सुभाष पिता लीलाधर जाति खाती	545/1/2	0.040	-	0.040	0.010	-	0.010
12	केदार पिता लीलाधर जाति खाती	545/1/3	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
13	चन्द्रशेखर पिता मोहनलाल जाति खाती	545/2	0.080	-	0.080	0.030	-	0.030

14	मनोज्ञ पिता मोहनलाल जाति खाती	545/3	0.080	-	0.080	0.030	-	0.030
15	रमेशचन्द्र पिता शिवजीराम जाति खाती	545/4/1	0.060	-	0.060	0.030	-	0.030
16	आशीष पिता रमेशचन्द्र जाति खाती	545/4/2	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
17	विकास पिता रमेशचन्द्र जाति खाती	545/4/3	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
18	महेश पिता बद्रीलाल जाति खाती	545/5/1	0.090	-	0.090	0.030	-	0.030
19	शुभम् पिता महेश जाति खाती	545/5/2	0.060	-	0.060	0.020	-	0.020
20	राकेश पिता बानूलाल जाति खाती	546/2/1	0.050	-	0.050	0.023	-	0.023
21	मुन्नीबाई पिता बाबूलाल जाति खाती	546/2/2	0.050	-	0.050	0.023	-	0.023
22	गंगाबाई बेवा बाबूलाल जाति खाती	546/2/3	0.050	-	0.050	0.024	-	0.024
23	किशनलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती	546/3/1/1	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
24	संजय पिता रामकिशन	546/3/1/2	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
25	बबीताबाई पति संजय	546/3/2	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
26	बंशीलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती	546/4	0.150	-	0.150	0.010	-	0.010
		26	1.680	0.300	1.980	0.460	0.045	0.505

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 01-15/2018/सात-7:-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग नर्मदापुरम के जिला होशंगाबाद की तहसील होशंगाबाद नगर एवं होशंगाबाद ग्रामीण की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

क्र०	विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	संभाग नर्मदापुरम जिला- होशंगाबाद तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण	अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील होशंगाबाद ग्रामीण का ग्राम डोंगरवाड़ा।	संभाग नर्मदापुरम जिला- होशंगाबाद तहसील- होशंगाबाद नगर	तहसील होशंगाबाद नगर में होशंगाबाद ग्रामीण का ग्राम डोंगरवाड़ा समाविष्ट होगा। तहसील होशंगाबाद नगर में नजूल क्षेत्र सहित 3 पटवारी हल्कों के 8 ग्राम होंगे।	पूर्व में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण, पश्चिम में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण एवं तहसील बुदनी जिला सीहोर, ग्रामीण उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं दक्षिण में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण	
2.	संभाग नर्मदापुरम जिला- होशंगाबाद तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण	सम्मिलित क्षेत्र- शेष तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्के के 41 ग्राम होंगे।	संभाग नर्मदापुरम जिला-होशंगाबाद तहसील-होशंगाबाद ग्रामीण	सम्मिलित क्षेत्र- शेष तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्का के 41 ग्राम होंगे।	पूर्व में तहसील बावई, पश्चिम में तहसील रेहटी जिला सीहोर एवं तहसील दोलरिया, उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं प्रस्तावित तहसील होशंगाबाद नगर एवं दक्षिण में इटारसी एवं दोलरिया	

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

क्रमांक भू-सर्वेक्षण-2020-29383

ग्वालियर, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विदिशा	विदिशा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	विदिशा	ग्यारसपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	विदिशा	बासौदा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	विदिशा	नटेरन	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	विदिशा	कुरवाई	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	विदिशा	सिरोंज	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	विदिशा	लटेरी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	विदिशा	शमशाबाद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	विदिशा	त्यौंदा	तहसील के	तहसील के समस्तग्रामीण	ग्राम का आबादी क्षेत्र

			समस्तग्रामीणग्राम	पटवारीहल्का	
10	विदिशा	गुलाबगंज	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
11	विदिशा	पठारी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
12	विदिशा	विदिशा नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

क्रमांक भू-सर्वेक्षण-2020-29383

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शहडोल	बुढार	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	शहडोल	ब्यौहारी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	शहडोल	गोहपारु	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	शहडोल	जयसिंहनगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	शहडोल	सोहागपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	शहडोल	जैतपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

क्रमांक भू-सर्वेक्षण-2020-29383

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्योपुर	बडौदा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	श्योपुर	विजयपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	श्योपुर	कराहल	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	श्योपुर	बीरपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	श्योपुर	श्योपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.